न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 853/2022

अनवान : –

1. पलवी पुत्री रामचन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षिका दादी मैना पत्नी जोधाराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. युवराज पुत्र रामचन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षिका दादी मैना पत्नी जोधाराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उपं पजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक ऑफ शाख नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादीगण**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 165/151 के ख0न0 210/5 की 1.0500 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन प्रतिवादी स0 1 द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का पूर्व में बेचान किया जा चुका है इसलिए उक्त वाद भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जा... घोषित की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी नोहर

संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन प्रतिवादी स0 1 द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का पूर्व में बेचान किया जा चुका है इसलिए उक्त वाद भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 165/151 के ख0न0 210/5 की 1.0500 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है वादीगण ने कथन किया है कि प्रतिवादी स0 1 द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का पूर्व में बेचान किया जा चुका है लेकिन अपने कथनो के समर्थन में वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह सा[illegible] द्वारा भूमि का बेचान किया गया है अत वादीगण को बहिब के खाते[illegible] न्यायोचित नही है जबकि वादीगण व प्रतिवादी स0 1 को ब[illegible]तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अत वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण आंशि[illegible] स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 165/151 के ख0न0 210/5 की 1.0500 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीगण व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 853/2022

अनवान : –

1. पलवी पुत्री रामचन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षिका दादी मैना पत्नी जोधाराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. युवराज पुत्र रामचन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षिका दादी मैना पत्नी जोधाराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उपं पजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक ऑफ शाख नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 853 सन 2022 निर्णय दिनांक 27/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 165/151 के ख0न0 210/5 की 1.0500 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीगण व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested